रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 1989/भाद्र 28, 1911
No. 498] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1989/BHADRA 28, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 सितम्बर, 1989

सा. का. नि. 842 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 है ।

(2) ये अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर "नियत दिन" को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) "अधिनियम" से रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) अभिप्रेत है ;

(ख) "दुर्घटना" से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 82 क में वर्णित प्रकृति की दुर्घटना अभिप्रेत है ;

(ग) "आवेदक" से अधिनियम की धारा 16 के अधीन अधिकरण को आवेदन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (i) के अधीन है ;

(घ) "विधिक प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृतक की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है ;

(ङ) "रजिस्ट्रार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय अधिकरण के रजिस्ट्रार के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है और इसके अंतर्गत अपर और सहायक रजिस्ट्रार हैं;

(च) "रजिस्ट्री" से अधिकरण के किसी न्यायपीठ की रजिस्ट्री अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(झ) "अंतरित आवेदन" से ऐसा वाद, दावा या अन्य विधिक कार्यवाही अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 24 के अधीन अधिकरण को अंतरित की गई है।

(ञ) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित रेल दावा अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ट) उन पदों और शब्दों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. न्यायपीठों की प्रादेशिक अधिकारिता :

(1) न्यायपीठों की संख्या, प्रत्येक न्यायपीठ का मुख्यालय और प्रत्येक ऐसे न्यायपीठ की प्रादेशिक अधिकारिता वह होगी जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है।

(2) यदि कोई आवेदन किसी ऐसे न्यायपीठ द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे उस विषय में कार्रवाई करने की प्रादेशिक अधिकारिता नहीं है तो उस न्यायपीठ का रजिस्ट्रार आवेदक को आवेदन वापस कर देगा।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, आवेदक अध्यक्ष को आवेदन कर सकेगा और तब अध्यक्ष, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे न्यायपीठ से भिन्न जिसके समक्ष आवेदन फाइल किया गया है, न्यायपीठ को ऐसे आवेदन की सुनवाई करने और ऐसे आदेश जारी करने का निदेश दे सकेगा जो आवेदन के अंतरण के लिए आवश्यक हों।

4. अधिकरण की भाषा :—अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी :—

परन्तु अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी में तैयार की गई दस्तावेजें फाइल कर सकेंगे परन्तु यह और कि :—

(क) कोई न्यायपीठ, अपने विवेकानुसार, कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग इस शर्त के अधीन अनुज्ञात कर सकेगा कि अंतिम आदेश अंग्रेजी में होगा; और

(ख) किसी विषय की सुनवाई करने वाला न्यायपीठ, अपने विवेकानुसार, यह निदेश दे सकेगा कि अभिवचनों और दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद फाइल किया जाए।

5. आवेदन फाइल करने के लिए प्रक्रिया :—

(1) अधिकरण को आवेदन, आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता द्वारा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने विधि व्यवसायी द्वारा रजिस्ट्रार को, यथास्थिति, प्ररूप 1, प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन संबंधित न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी भेज सकेगा।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) जहां प्रत्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है वहां फाइल के आकार के खाली लिफाफों के साथ जिन पर ऐसे प्रत्यर्थियों का पूरा पता हो, आवेदन की उतनी अतिरिक्त प्रतियां जितने प्रत्यर्थी हैं, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) आवेदक अपने आवेदन के साथ प्ररूप 4 में प्राप्ति पर्ची संलग्न करेगा और प्रस्तुत करेगा जिस पर रजिस्ट्रार द्वारा या रजिस्ट्रार की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(6) प्रत्येक आवेदन, जिसके अंतर्गत कोई प्रकीर्ण आवेदन है, अच्छी क्वालिटी के मोटे कागज पर एक ओर डबल-स्पेस में सुपाठ्य रूप में टाइप किया जाएगा।

6. यात्रियों की मृत्यु या क्षति के लिए प्रतिकर से भिन्न मामलों के लिए आवेदन फीस

(1) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ, जिसमें यात्रियों की मृत्यु या क्षति के लिए प्रतिकर के दावे से भिन्न विषयों की बाबत अनुतोष चाहा गया है, ऐसी फीस होगी जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम संबंधित न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखे गए क्रास मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदेय होगी या संबंधित न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पक्ष में लिखे गए क्रास भारतीय पोस्टल आर्डर के जरिए प्रेषित की जाएगी।

7. आवेदन के साथ लगाई जाने वाली दस्तावेजें :—

(1) जीव जंतुओं या माल की हानि, नाश, नुकसान, क्षय या अपरिदान की बाबत प्रतिकर के लिए अथवा किराए या भाड़े के प्रतिदाय की बाबत प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें होंगी, अर्थात :—

(क) रेल रसीद/पार्सल रसीद/सामान टिकट की प्रति;

(ख) मूल विक्रय इन्वाइस (बीजक) यदि कोई हो;

(ग) पक्षकार के दावे का विनिश्चय करने वाले रेल प्रशासन के आदेश या पत्र की, यदि कोई हो प्रति ;

(घ) खुली सुपुर्दगी या निर्धारण सुपुर्दगी मंजूर करते समय माल की हानि, क्षय या नुकसान के बारे में रेल प्रशासन द्वारा जारी की गई मूल प्रमाण पत्र की प्रति;

(ङ) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 78ख के अधीन सूचना की प्रति;

(च) आवेदन के कब्जे में के किसी अन्य सुसंगत दस्तावेज की प्रतियां।

8. दुर्घटना संबंधी दावों में प्रतिकर के लिए आवेदन फाइल करने का स्थान

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 82क के अधीन संदेय और अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड क के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट प्रतिकर के लिए आवेदन ऐसे स्थान पर, जहाँ दुर्घटना होती है, प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले न्यायपीठ के समक्ष फाइल किया जा सकेगा।

9. माल या जीवजन्तुओं की हानि, नाश, नुकसान, क्षय या अपरिदान के लिए आवेदन फाइल करने का स्थान—

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रतिकर के लिए आवेदन ऐसे स्थान पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले न्यायपीठ के समक्ष फाइल किया जा सकेगा जहां—

(क) माल या जीवजन्तु वहन के लिए सुपुर्द किए गए थे; या

(ख) गन्तव्य स्टेशन है; या

(ग) माल या जीवजन्तुओं की हानि, नाश, नुकसान या क्षति होती है।

10. किराए और भाड़े के प्रतिदाय के लिए आवेदन फाइल करने का स्थान—

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किराए या भाड़े के प्रतिदाय के लिए दावे की बाबत आवेदन ऐसे न्यायपीठ के समक्ष फाइल किया जा सकेगा जिसे उस स्थान पर जहां ऐसा किराया या भाड़ा संदत्त किया गया था या उस स्थान पर, जहां गन्तव्य स्टेशन है, प्रादेशिक अधिकारिता है।

11. आवेदन की संवीक्षा :—

(1) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक आवेदन पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको वह नियम 5 के अधीन डाक द्वारा प्रस्तुत या प्राप्त किया गया है और उस पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि, संवीक्षा किए जाने पर, आवेदन ठीक पाया जाता है तो वह रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे क्रम सख्यांक दिया जाएगा।

(3) यदि आवेदन, संवीक्षा किए जाने पर, त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और पाई गई त्रुटि प्ररूपिक प्रकृति की है तो रजिस्ट्रार, अपनी उपस्थिति में उस त्रुटि का परिशोधन करने के लिए आवेदक को अनुज्ञात कर सकेगा और यदि त्रुटि प्ररूपिक प्रकृति की नहीं है तो रजिस्ट्रार, त्रुटि का परिशोधन करने के लिए आवेदक को उतना समय अनुज्ञात कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(4) यदि आवेदक, उपनियम (3) में अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि का परिशोधन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आवेदन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और तद्नुसार आवेदक को सूचित करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी सदस्य को की जा सकेगी और ऐसी अपील के बारे में, सदस्य द्वारा अपने कक्ष में कार्यवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

12. विरोधी पक्षकार को सूचना—

(1) अधिकरण, प्रत्यर्थी को सूचना जारी करेगा कि वह उसमें विनिर्दिष्ट सुनवाई की तारीख को आवेदन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करे। ऐसी सूचना के साथ आवेदन की प्रति होगी।

(2) यदि प्रत्यर्थी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को हाजिर नहीं होता है या हाजिर होता है और दावा स्वीकार करता है तो अधिकरण आवेदन को निपटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(3) यदि प्रत्यर्थी दावे का प्रतिवाद करता है तो वह ऐसी दस्तावेजों की जिन पर वह निर्भर करता है, प्रतियों सहित सुनवाई की तारीख को या उसके पूर्व उत्तर फाइल करेगा तथा ऐसा उत्तर और दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेख का भाग होंगी।

13. अधिकरण द्वारा जारी की गई सूचनाओं और आदेशिकाओं की तामील—

(1) अधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली सूचना या आदेशिका की निम्नलिखित किसी ढंग से जो न्यायपीठ द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, तामील की जा सकेगी :

(क) आदेशिका का तामीलकर्ता द्वारा दस्ती परिदान करके;

(ख) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा;

(ग) पक्षकार द्वारा स्वयं तामील करके।

(2) जहां अधिकरण द्वारा जारी की गई सूचना पक्षकार द्वारा स्वयं "दस्ती परिदान" करके तामील की जाती है वहां वह तामील के शपथपत्र सहित अभिस्वीकृति को रजिस्ट्री में फाइल करेगा।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण, प्रत्यर्थियों की संख्या और उनके निवास या कार्य के स्थान और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निदेश दे सकेगा कि आवेदन की सूचना की तामील ऐसी किसी अन्य रीति से, जिसके अन्तर्गत प्रतिस्थापित तामील की कोई रीति है, प्रत्यर्थियों पर की जाएगी जो अधिकरण को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो।

14. शपथ-पत्र का फाइल किया जाना—

(1) अधिकरण पक्षकारों को शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य, यदि कोई हो, देने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिकरण मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए यह आवश्यक समझता है तो वह किसी अभिसाक्षी की प्रतिपरीक्षा का आदेश दे सकेगा।

15. प्रत्यर्थियों द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाइल किया जाना—

(1) प्रत्येक प्रत्यर्थी, सुनवाई की तारीख को या उसके पूर्व आवेदन के संबंध में अपना उत्तर और दस्तावेजों की प्रतियां फाइल कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन फाइल किए गए उत्तर में, प्रत्यर्थी अपने आवेदन में आवेदक द्वारा कथित तथ्यों को विनिर्दिष्टतः स्वीकार करेगा, उनका प्रत्याख्यान करेगा या उनको स्पष्ट करेगा और उसमें ऐसा अतिरिक्त तथ्य कथित करेगा जो शपथ-पत्र सहित उसके उत्तर में आवश्यक पाए जाएं।

16. आवेदन का संक्षेपतः खारित किया जाना

ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अधिकरण की यह राय है कि आवेदन के संबंध में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो अधिकरण, आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, आवेदन को संक्षेपतः खारिज कर सकेगा।

17. आवेदन की सुनवाई—

अधिकरण, पक्षकारों को आवेदन की सुनवाई की तारीख और स्थान ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जो अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे।

18. आवेदन के व्यतिक्रम के कारण आवेदन पर कार्यवाही—

(1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिसको ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक उस समय हाजिर नहीं होता है जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी वहां अधिकरण अपने विवेकानुसार, व्यतिक्रम के कारण आवेदन को खारिज कर सकेगा या उसकी सुनवाई कर सकेगा और गुणागुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा।

(2) जहां कोई आवेदन व्यतिक्रम के कारण खारिज किया गया है और आवेदक ऐसी खारिजी की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन फाइल करता है और अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसकी उस समय गैर-हाजिरी के लिए पर्याप्त कारण था जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी वहां अधिकरण आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को अपास्त करने वाला आदेश करेगा और उसे प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु जहां मामले का गुणागुण के आधार पर निपटारा किया गया था वहां विनिश्चय पर नए सिरे से विचार पुनर्विलोकन के रूप में ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

19. आवेदनों की एकपक्षीय सुनवाई और उनका निपटारा—

(1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिसको ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक हाजिर होता है और प्रत्यर्थी उस समय हाजिर नहीं होता है जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार होती है वहां अधिकरण, अपने विवेकानुसार, सुनवाई को स्थगित कर सकेगा या उसकी सुनवाई कर सकेगा और आवेदन का एकपक्षीय रूप से विनिश्चय कर सकेगा।

(2) जहां किसी आवेदन की प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से सुनवाई की गई है वहां ऐसा प्रत्यर्थी या ऐसे प्रत्यर्थी उसे अपास्त किए जाने के लिए आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेंगे और यदि ऐसा प्रत्यर्थी या ऐसे प्रत्यर्थी अधिकरण का समाधान कर देते हैं कि सूचना की सम्यक रूप से तामील नहीं की गई थी अथवा वह या वे उस समय जब ऐसे आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी, हाजिर होने से किसी पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हो गये थे तो अधिकरण उसके या उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई को अपास्त करने के लिए ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक समझे, आदेश कर सकेगा और आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा :

परन्तु जहां आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई ऐसी प्रकृति की है कि वह केवल एक प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती है वहां वह सभी या किन्हीं अन्य प्रत्यर्थियों के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी ।

20. अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां

निम्नलिखित विषयों की बाबत अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) व्यतिक्रम के कारण किसी आवेदन को खारिज करना या उसका एकपक्षीय विनिश्चय करना;

(ज) व्यतिक्रम के कारण किसी आवेदन की खारिजी के किसी आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना ।

21. विवाद्यकों की विरचना और अवधारण

(1) उत्तर पर विचार करने के पश्चात् अधिकरण यह अभिनिश्चित करेगा कि तथ्य की या विधि की किन तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में पक्षकारों में मतभेद है और तब वह उन विवाद्यकों की विरचना और अभिलेखन करने के लिए अग्रसर होगा जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है ।

(2) विवाद्यकों को अभिलिखित करने में अधिकरण उन विवाद्यकों, जो उसकी राय में तथ्य के प्रश्नों से संबंधित हैं और उन विवाद्यकों के बीच जो विधि-प्रश्नों से संबंधित हैं, विभेद करेगा ।

(3) विवाद्यकों की विरचना के पश्चात्, अधिकरण उन पर ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए, कार्यवाही करेगा जिसे प्रत्येक पक्षकार पेश करना चाहे ।

22. साक्षियों का समन किया जाना और साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग

(1) यदि कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा कोई आवेदन साक्षियों के समय किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो अधिकरण ऐसे साक्षियों के हाजिर होने के लिए समन जारी करेगा जब तक कि वह यह नहीं समझता है कि उनकी हाजिरी मामले के न्यायायसगत विनिश्चय के लिए आवश्यक नहीं है ।

(2) अधिकरण, जैसे ही साक्षियों की परीक्षा अग्रसर होती है, प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के सारांश का संक्षिप्त ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा;

परन्तु यदि अधिकरण ऐसी ज्ञापन तैयार करने से निवारित किया जाता है तो वह ऐसा करने में अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसे ज्ञापन को स्वयं बोलकर लिखवाएगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा ।

2 . कमीशन निकालने की शक्ति

अधिकरण का कोई न्यायपीठ किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा, परिप्रश्नों पर या अन्यथा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा जो अधिकरण के ऐसे न्यायपीठ की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर निवासी है और जो किसी न्याय कारण के लिए अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है ।

2 . संसक्त मामलों में प्रक्रिया :

(1) जहां किसी अधिकरण के समक्ष लम्बित दो या अधिक आवेदन एक ही तथ्य से उद्भूत होते हैं और अंतर्वलित कोई विवाद्यक ऐसे दो या अधिक आवेदनों में सामान्य है वहां ऐसे आवेदन की , जहां तक ऐसे विवाद्यकों से संबंधित साक्ष्य का संबंध है, साथ साथ सुनवाई की जा सकेगी ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है वहां ऐसा साक्ष्य जो सामान्य विवाद्यक या विवाद्यकों से संबंधित है, एक आवेदन के अभिलेख पर अभिलिखित किया जाएगा और अधिकरण किसी ऐसे अन्य आवेदन के अभिलेखों पर अपने हस्ताक्षर से, वहां परिमाण जिस तक इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य ऐसे अन्य मामले को लागू होता है और यह तथ्य प्रमाणित करेगा कि ऐसे अन्य मामले के पक्षकारों को उपस्थित होने का और यदि वे उपस्थित थे तो साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्राप्त था ।

25. स्थानान्तरित मामलों की डायरी

प्रत्येक न्यायपीठ अंतरित मामलों की सुनवाई के लिए डायरी ऐसी रीति से तैयार करेगा जो अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदिष्ट करे और डायरी के अनुसार मामलों की सुनवाई और विनिश्चय करेगा ।

26. विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन

(1) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु की दशा में, मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि अपने को अभिलेख पर लाए जाने के लिए ऐसी मृत्यु की तारीख से नब्बे दिन के भीतर आवेदन कर सकेंगे।

(2) जहां कोई आवेदन, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विधिक प्रतिनिधियों से प्राप्त नहीं होता है वहां कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा :

परन्तु दर्शित किए जाने वाले अच्छे और पर्याप्त कारणों से, अधिकरण मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन अनुज्ञात कर सकेगा।

27. असेसर :

(1) किसी दावा में किसी जांच में, अधिकरण दो से अनधिक ऐसे असेसरों की सहायता की मांगकर सकेगा जिनके पास अधिकरण की सहायता के प्रयोजनों के लिए, अधिकरण के समक्ष किसी विषय की बाबत कोई तकनीकी या विशेष ज्ञान है।

(2) कोई असेसर ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अधिकरण निर्दिष्ट करे।

(3) किसी असेसर को संदत्त किए जाने वाले परिश्रमिक का, यदि कोई हो, प्रत्येक मामले में अधिकरण द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा।

28. सुनवाई का स्थगन

यदि अधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि कोई आवेदन एक सुनवाई में निपटाया नहीं जा सकता है तो वह ऐसे कारणों को लेखबद्ध करेगा जो स्थगन को आवश्यक बना देते हैं और उपस्थित पक्षकारों को स्थगित सुनवाई की तारीख भी सूचित करेगा।

29. खर्चे

अधिकरण, अपने विवेकानुसार, अपने समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के आनुषंगिक खर्चों की बाबत ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

30. अधिकरण का विनिश्चय

अधिकरण, दस्तावेजों, शपथ-पत्रों और अन्य साक्ष्य का, यदि कोई है, परिशीलन करके और ऐसे मौखिक तर्कों को, जो दिए जाए, सुनवाई करने के पश्चात यथासम्भव शीघ्रता के साथ प्रत्येक आवेदन का विनिश्चय करेगा।

31. आदेश का पारित किया जाना और हस्ताक्षरित किया जाना

(1) अधिकरण, आवेदक और प्रत्यर्थी की सुनवाई करने के पश्चात् तुरन्त या उसके पश्चात् तथा साध्य शीघ्रता से, आदेश पारित करेगा।

(2) अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश, अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में विष्पादनीय होगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह किसी सिविल न्यायालय की डिक्री की बाबत लागू होते है।

(3) अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उस पर न्यायपीठ गठित करने वाले ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन्होंने आदेश सुनाया था।

32. विनिश्चय का पुनर्विलोकन :—

(1) जो कोई व्यक्ति अधिकरण के किसी ऐसे आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अपने को व्यथित समझता है और जो किसी ऐसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से यह चाहता है कि उसके विरुद्ध किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह अधिकरण से ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, वहां वह आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(3) जहां अधिकरण की यह राय है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए वहां उसे मंजूर करेगा :—

परन्तु ऐसा कोई भी आवेदन विरोधी पक्षकार को ऐसी पूर्ववर्ती सूचना दिए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा जिससे वह हाजिर होने और उस आदेश के, जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाता है, समर्थन में सुने जाने के लिए समर्थ हो जाए।

33. आदेशों का प्रकाशन

अधिकरण का कोई ऐसा आदेश, जो उसके द्वारा किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या अन्य संचार माध्यम में प्रकाशन के लिए ठीक समझा जाए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऐसे प्रकाशन के लिए दिया जा सकेगा जिन्हे संबंधित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

34. आदेश की प्रमाणित प्रति और अभिलेख का निरीक्षण

(3) यदि आवेदक या किसी कार्यवाही का प्रत्यर्थी अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति की अपेक्षा करता है तो वह दस रूपए प्रति आदेश का संदाय किए जाने पर उसे परिदत्त की जाएगी।

(2) किसी मामले के पक्षकार या उनके काउन्सेल, रजिस्ट्रार को लिखित में आवेदन किए जाने पर और दस रुपए प्रति निरीक्षण का संदाय किए जाने पर नाम लेके अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेगा।

35. अधिकरण द्वारा आदेश या निर्देश

अधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा जो उसके आदेशों को भावी करने लिए या उसकी आदेशिका के दुरुपयोग के निवारण के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन है।

36. विधि व्यवसायी के लिपिक का रजिस्ट्रीकरण

(1) किसी विधि व्यवसायी द्वारा नियोजित कोई लिपिक, ऐसे अधिकरण के समक्ष उस हैसियत में कार्य नहीं करेगा या उस अधिकरण के किसी ऐसे न्यायपीठ के, जिसमें विधि व्यवसायी साधारणतया विधि व्यवसाय करता है, अभिलेख तक पहुंच रखने के लिए और आदेशों की प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक उसका नाम, उक्त न्यायपीठ द्वारा रखे गए लिपिकों के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है। ऐसा लिपिक "रजिस्ट्रीकृत लिपिक" के नाम से जाना जाएगा।

(2) ऐसा विधिक प्रतिनिधि, जो अपने लिपिक को रजिस्टर कराना चाहता है, रजिस्ट्रार को प्ररूप 5 में आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन के रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात किए जाने पर, उसका नाम लिपिकों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा।

37. रजिस्ट्रार की शक्तियां कृत्य और कर्तव्य

(1) रजिस्ट्रार अधिकरण के अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे इन नियमों के अधीन अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

(2) पूर्वगामी उपनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार को, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात :—

(i) सभी आवेदन और अन्य दस्तावेजों जिनके अन्तर्गत नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन अन्तरित आवेदन हैं, प्राप्त करना ;

(ii) नियम 11 के अनुसार आवेदनों के रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व उनकी संवीक्षा के उदभूत होने वाले प्रश्नों का विनिश्चय करना –

(iii) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन का, अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अनुपालन के लिए संशोधन करने की अपेक्षा करना ;

(iv) संबंधित न्यायपीठों के निदेशों के अधीन रहते हुए, सुनवाई की तारीख नियत करना और उसके लिए सूचना जारी करना ;

(v) अभिलेखों के किसी प्रारूपिक संशोधन का निदेश देना :

(vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां देने का आदेश करना

(vii) अधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए इजाजत देना ;

(viii) सूचनाओं या अन्य आदेशिकाओं की तामील से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना, नई सूचनाओं के जारी किए जाने के लिए आवेदनों का और ऐसे आवेदनों के फाइल किए जाने का समय बढ़ाए जाने के लिए और उत्तर या प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, फाइल करने के लिए पन्द्रह दिन से अनधिक समय देने के लिए तथा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् समुचित आदेशों के लिए उस विषय को न्यायपीठ के समक्ष रखने के लिए आवेदनों का निपटारा करना;

(ix) ऐसे वाद, दावे या अन्य विधिक कार्यवाही के किसी अभिलेख को अध्यपेक्षा करना या उसका अन्तरण करना जो अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 के खण्ड (क) के अधीन किसी न्यायालय, दावा आयुक्त या अन्य प्राधिकारी से अधिकरण को अन्तरित किए जाते हैं।

(x) प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटारा करना, सिवाय तब के जब ऐसे प्रतिस्थापन में उपशमन के आदेशों को अपास्त करना अन्तर्वलित हैं ;

(xi) दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों से आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटारा करना।

(3) शासकीय मुद्रा, रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(4) अध्यक्ष के किसी साधारण या विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, अधिकरण की मुद्रा किसी आदेश, समन या अन्य आदेशिका पर रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार से ही लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं।

(5) अधिकरण की मुद्रा, अधिकरण द्वारा जारी की गई किसी अधिप्रमाणित प्रति पर रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार से ही लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं

(6) प्रत्येक न्यायपीठ का रजिस्ट्रार, प्रत्येक मास, पूर्व मास के दौरान उस न्यायपीठ द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण विनिश्चयों का संक्षिप्त सारांश तैयार करेगा और उसे प्रधान न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को भेजेगा जो, उपयुक्त सम्पादन करने के पश्चात अधिकरण के सभी न्यायपीठों को और आंचलिक रेल के सभी मुख्य दावा कार्यालयों को उनकी जानकारी के लिए परिचालित करेगा।

38. अधिकरण के कार्य के घंटे—

शनिवार, रविवार और अन्य लोक अवकाश दिनों के सिवाय, अधिकरण का कार्यालय, अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, 9.30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक खुला रहेगा।

39. अधिकरण की बैठकों का समय—

अधिकरण की बैठकों का समय, अध्यक्ष द्वारा अथवा अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से संबंधित उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, साधारणतया 10.30 बजे पूर्वाह्न से 1.30 बजे अपराह्न तक और 2.3 बजे अपराह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक होगा।

40. मुद्रा और संप्रतीक—

अधिकरण की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

41. मुख्यालय के बाहर अधिकरण की बैठकें—

अधिकरण और कोई न्यायपीठ अपने मुख्यालय पर या किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें कर सकेगा जो वह कारबार के बेहतर संव्यवहार के लिए सुविधाजनक समझे।

42. अधिकरण का मुख्यालय—

अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

43. अभिलेख का परिरक्षण

ऐसे आवेदनों से, जिनके संबंध में अधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाती है, संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों को अभिलेख कक्ष में रखा जाएगा और अन्तिम आदेश पारित किए जाने के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाएगा।

44. अधिकरण की अन्तर्निहित शक्तियां—

इन नियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेश करने की अधिकरण की अन्तर्निहित ऐसी शक्ति को परिसीमित करती है, या अन्यथा प्रभावित करती है जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अधिकरण की आदेशिका के दुरुपयोग के निवारण के लिए आवश्यक है।

प्ररूप–1

(रेल दावा अधिकरण) प्रक्रिया (नियम, 1989 का नियम 5 देखिए)

जीवजंतुओं या माल की हानि, नाश, नुकसान, क्षय या अपरिदान के लिए प्रतिकर के दावे के संबंध में अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन।

भाग 1

मामले का शीर्षक :

भाग 2

क्रम सं. संलग्न दस्तावेजों का वर्णन पृष्ठ सं.

1. आवेदन
2.
3.
4.
5.
6.

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए।

फाइल करने की तारीख
या
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख
रजिस्ट्रीकरण सं.
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

भाग 3

रेल दावा अधिकरण

.....न्यायापीठ

क.ख. आवेदक

और

ग.घ. प्रत्यर्थी

के बीच

1. आवेदक की विशिष्टियां :
   नाम और पता :

2. प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों की विशिष्टियां :

3. दावे का मूल्य और आवेदन फीस के ब्यौरे—
   (1) दावे का मूल्य
   (2) आवेदन फीस के ब्यौरे :

4. (i) उस बैंक का नाम और पता जिस पर ड्राफ्ट लिखा गया है :
   (ii) मांगदेय ड्राफ्ट का सं..... और वह शाखा जिस पर वह संदेय है

या

   (i) भारतीय पोस्टल आर्डर (आर्डरों) का सं.
   (ii) जारी करने वाले डाकघर का नाम
   (iii) पोस्टल आर्डर (आर्डरों) को जारी करने की तारीख
   (iv) वह डाक घर जिस पर वह संदेय है

5. परेषण की पूर्ण बुकिंग विशिष्टियां—

बुकिंग की तारीख	रेल रसीद या पार्सल	स्टेशन से को खन्ना	परेषण का वर्णन
1	2	3	4

परेषण का मूल्य	कोई अन्य विशिष्टियां
5	6

6. वह तारीख जिसको भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 78ख के अधीन रेल प्रशासन पर सूचना की तामील की की गई थी ।
(सबूत संलग्न करें)

7 (i) मामले के तथ्य :
(यहां कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें प्रत्येक पैरा में, यथासंभव पृथक विवादक, तथ्यों या अन्य बातों को दिया जाए) ;

(ii) (क) मांगे गए अनुतोष की प्रकृति; और

(ख) अनुतोष के आधार ।

8 वे विषय जो पहले फाइल नहीं किए गए हैं व. जो किसी अन्य न्यायालय में लंबित हैं (यह कथन कर कि क्या आवेदक ने कोई दावा, रिट अर्जी या वाद ऐसे विषय के संबंध में, जिसकी बाबत विद्यमान आवेदन किया गया है, पहले फाइल किया गया था) ।

यदि आवेदकों ने कोई दावा, आवेदन, रिट अर्जी या वाद पहले फाइल किया है तो वह प्रक्रम उपदर्शित किया जाए जिस पर वह लंबित है और यदि उसका विनिश्चय कर दिया गया है तो आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें ।

9. न्यायपीठ की अधिकारिता (वे तथ्य उपदर्शित किए जाएं जिनके आधार पर उस न्यायपीठ की, जिसको आवेदन किया गया है, अधिकारिता है)

10. संलग्नकों की सूची ।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

सत्यापन

.....का पुत्र/की पुत्री/की पत्नी, मैं.....(आवेदक का नाम) आयु.....जो.....का निवासी हूं/की निवासी हूं, यह सत्यापित करता हूं/करती हूं कि पैरा.....से पैरा.....की अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सही है और पैरा.....से पैरा.....की अंतर्वस्तु के मेरी सर्वोत्तम जानकारी या मुझे दी गई विधिक सलाह के अनुसार सही होने का विश्वास है और मैंने किसी तात्विक तथ्य को नहीं छिपाया है ।

तारीख :

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा पता :

प्रेषिती

रजिस्ट्रार,
रेल दावा अधिकरण
.....
.....

प्ररूप 2

[रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का नियम 5 देखिए]

रेलगाड़ी की दुर्घटना में मृत्यु/क्षति आदि के लिए प्रतिकर के दावे के संबंध में अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रतिक के लिए आवेदन ।

भाग 1

मामले का शीर्षक :

भाग 2

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	संलग्न दस्तावेजों का वर्णन	पृष्ठ सं.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए ।

फाइल करने की तारीख
या
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख
रजिस्ट्रीकरण सं.
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

प्रेषिती

रेल दावा अधिकरण,

.....का पुत्र/की पुत्री/ की पत्नी, मैं.....जो.....का निवासी हूं/की निवासी हूं, रेल दुर्घटना में क्षत हुआ हूं/क्षत हुई हूं, हुई क्षति के लिए प्रतिकर की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूं/करती हूं ।

.....का पुत्र/की पुत्री/की पत्नी, मैं.....जो.....का निवासी हूं/की निवास हूं, श्री/श्रीमती.....का पुत्र/की पुत्री/की पत्नी/की विधवा.....श्री/कुमारी/श्रीमती.....की जिसकी इसमें निर्दिष्ट रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई है/जो उसमें क्षत हुई है/हुई है, हुई मृत्यु/क्षति के मद्दे प्रतिकर की मंजूरी के लिए आश्रित के रूप में आवेदन करता हूं/करती हूं ।

दुर्घटना में मृत्यु/क्षत व्यक्ति की बाबत आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

1. क्षत/मृत व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित स्त्री या विधवा की दशा में पति का नाम)
2. क्षत/मृत व्यक्ति का पूरा पता
3. क्षत/मृत व्यक्ति की आयु
4. क्षत/मृत व्यक्ति की उपजीविका
5. मृतक के नियोजक का, यदि कोई हो, नाम और पता.
6. दुर्घटना की तारीख और स्थान तथा अंतर्ग्रस्त रेल गाड़ी का नाम उपवर्णित करते हुए दुर्घटना की संक्षिप्त विशिष्टियां :
7. यात्रा की श्रेणी और टिकट/पास संख्यांक, जहां तक ज्ञात हो।
8. हुई क्षति की प्रकृति और साथ ही चिकित्सा प्रमाणपत्र
9. ऐसे चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी का, यदि कोई हो, नाम और पता जिसने क्षत/मृत व्यक्ति की परिचर्या की थी और उपचार की अवधि :
10. कार्य के लिए हुई निःशक्तता, यदि कोई हो ।
11. दुर्घटना के कारण किसी सामान की हानि का ब्यौरा :
12. क्या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई दावा दाखिल किया गया है ?
    यदि, हां तो उसकी विशिष्टियां ।
13. आवेदक का नाम और स्थायी पता :
14. आवेदक का स्थानीय पता, यदि कोई हो :
15. मृतक/क्षत व्यक्ति से नातेदारी :
16. दावाकृत प्रतिकर की रकम :
17. जहां आवेदन दुर्घटना होने के एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है वहां उसके आधार :
18. कोई अन्य जानकारी या दस्तावेजी साक्ष्य जो दावे के निपटाने में आवश्यक या सहायक हो सकेगा :
19. आवेदन के साथ फाइल किए गए दस्तावेज, यदि कोई हो, उल्लिखित करें :

मैं,.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि—

(क) ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और ठीक हैं ; और

(ख) मैंने ऐसी क्षति या मृत्यु के संबंध में, जो इस आवेदन की विषयवस्तु है, किसी प्रतिकर का दावा नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर या बांए हाथ के अंगूठे का निशान ।

तारीख
स्थान

यदि आवेदक द्वारा बांए हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाता है तो साक्षी का नाम और उसका पता

सत्यापन

.....का पुत्र/की पुत्री/की पत्नी, मैं.....(आवेदक का नाम) आयु..... जो.....का निवासी हूं/की निवासी हूं, यह सत्यापित करता हूं/करती हूं कि पैरा.....से पैरा..... .....की अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सही है और पैरा.....से पैरा.....की अंतर्वस्तु के मेरी सर्वोत्तम जानकारी या मुझे दी गई विधिक सलाह के अनुसार सही होने का विश्वास है और मैंने किसी तात्विक तथ्य को नहीं छिपाया है ।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान पूरा पता
प्रेषिती

रजिस्ट्रार,
रेल दावा अधिकरण
.....

.....

प्ररूप 3

[रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का नियम 5 देखिए]

किराए या उसके भाग के प्रतिदाय के लिए या किसी रेल प्रशासन को रेल द्वारा वहन किए जाने के लिए सुपुर्द किए गए जंतुओं या माल की बाबत संदत्त भाड़े के प्रतिदाय के लिए दावों के संबंध में अधिनियम की धारा 16 के अधीन आवेदन ।

भाग 1

मामले का शीर्षक :

भाग 2

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	संलग्न दस्तावेजों का वर्णन	पृष्ठ सं.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए ।

फाइल करने की तारीख
या
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख
रजिस्ट्रीकरण सं.
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

भाग 3

रेल दावा अधिकरण

————————न्यायपीठ

क.ख. आवेदक

और

ग.घ. प्रत्यर्थी

के बीच

1. आवदक की विशिष्टियां
नाम और पता :

2. प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों की विशिष्टियां :

3. दावे का मूल्य और आवेदन फीस के ब्यौरे—
(1) दावे का मूल्य
(2) आवेदन फीस के ब्यौरे :

4. आवेदन फीस के संबंध में बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां :
(i) उस बैंक का नाम और पता जिस पर ड्राफ्ट लिखा गया है :
(ii) मांगदेय ड्राफ्ट का सं.————और वह शाखा जिस पर वह संदेय है

या

(i) भारतीय पोस्टल आर्डर (आर्डरों) का सं.
(ii) जारी करने वाले डाकघर का नाम
(iii) पोस्टल आर्डर (आर्डरों) को जारी करने की तारीख
(iv) वह डाकघर जिस पर वह संदेय है

5. किराए/भाड़े के संदाय की पूर्ण विशिष्टियां :—
(i) भाड़े के प्रतिदाय के लिए दावा :

बुकिंग की तारीख	रेल रसीद या पार्सल रसीद	स्टेशन		परेषण का वर्णन	संदत्त भाड़ा	दावों के प्रतिदाय की रकम रु०	धन रसीद/जमापत्र या अन्य संदाय की विशिष्टियां
		से	को				
1	2	3		4	5	6	7

(2) किराए के प्रतिदाय के लिए दावा :

यात्रा की तारीख	रेलगाड़ी सं.	यात्रा की श्रेणी	वह श्रेणी जिसमें वास्तव में यात्रा की गई	टिकट या टिकट जमा करने की रसीद/अतिरिक्त किराया टिकट आदि, गार्ड या कंडक्टर का प्रमाणपत्र	संदत्त किराया	दावाकृत प्रतिदाय रु.
1	2	3	4	5	6	7

6. वह तारीख जिसको भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 78ख के अधीन (भाड़े के प्रतिदाय के लिए दावों के संबंध में) रेल प्रशासन पर सूचना की तामील की गई थी—सबूत संलग्न करें।

7. (i) मामले के तथ्य :

(यह कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैरा में, यथासंभव, पृथक विवाद्यक, तथ्यों या अन्य बातों को दिया जाए)

(ii) (क) मांगे गए अनुतोष की प्रवृति; और

(ख) अनुतोष के आधार

8. वे विषय जो पहले फाइल नहीं किए गए हैं या जो किसी अन्य न्यायालय में लंबित हैं (यह कथन करें कि क्या आवेदक ने कोई दावा, रिट अर्जी या वाद ऐसे विषय के संबंध में, जिसकी बाबत विद्यमान आवेदन किया गया है, पहले फाइल किया था)।

यदि आवेदकों ने कोई दावा, आवेदन, रिट अर्जी या वाद पहले फाइल किया है तो वह प्रक्रम उपदर्शित किया जाए जिस पर वह लंबित है और यदि उसका विनिश्चय कर दिया गया है तो आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें

9. न्यायपीठ की अधिकारिता (वे तथ्य उपदर्शित किए जाएं जिनके आधार पर उस न्यायपीठ की, जिसको आवेदन किया गया है, अधिकारिता है)

10. संलग्नकों की सूची

1.

2.

3.

4.

सत्यापन

————————————का पुत्र/की पुत्री/की पत्नी, मैं————————————(आवेदक का नाम) आयु————————————का निवासी हूं/की निवासी हूं/यह सत्यापित करता हूं/करती हूं कि पैरा————से पैरा————की अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सही है और पैरा————से पैरा————की अंतर्वस्तु के मेरी सर्वोत्तम जानकारी या मुझे दी गई विधिक सलाह के अनुसार सही होने का विश्वास है और मैंने किसी सात्विक तथ्य को नहीं छिपाया है।

तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान पूरा पता :

प्रतिनी

रजिस्ट्रार,

रेल दावा अधिकरण

प्ररूप 4

(रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 5 का उपनियम (5) देखिए)

प्राप्ति पर्ची सं.———————

रेल दावा अधिकरण के———————न्यायपीठ के समक्ष श्री/कुमारी/श्रीमती———————द्वारा तारीख———————को फाइल किया गया आवेदन प्राप्त हुआ ।

कृते रजिस्ट्रार,
———————न्यायपीठ
रेल दावा अधिकरण

तारीख———————
मुद्रा———————

प्रारूप 5

(नियम 36 देखिए)

लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. विधि व्यवसायी का नाम जिसकी ओर से लिपिक का रजिस्ट्रीकरण किया जाना है ।
2. रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले लिपिक की विशिष्टियां :
   (i) पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)
   (ii) पिता का नाम
   (iii) आयु और जन्म तिथि
   (iv) जन्मस्थान
   (v) राष्ट्रिकता
   (vi) शैक्षिक अर्हताएं
   (vii) पूर्व नियोजन की, यदि कोई हो, विशिष्टियां ।

मैं———————(ऊपर नामित लिपिक) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझसे संबंधित ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

लिपिक के हस्ताक्षर

3. क्या विधि व्यवसायी के पास उसके नियोजन में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत कोई लिपिक है और क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक, पहले से ही रजिस्ट्रीकृत लिपिक के स्थान पर है या उसके अतिरिक्त है ।
4. क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक किसी अन्य विधि व्यवसायी के लिपिक के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है है और यदि हां तो ऐसे विधि व्यवसायी का नाम।

मैं,———————(विधि व्यवसायी) प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मुझे ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं है जिससे लिपिक के रूप में उक्त———————(नाम) का रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय हो जाएगा । इसके अतिरिक्त मैं 5.00 रु० का पोस्टल आर्डर, जो पहचानपत्र की लागत है और साथ ही आवेदक के पासपोर्ट आकार के दो फोटो जो मेरे द्वारा समुचित रूप से अधिप्रमाणित हैं, संलग्न कर रहा हूं ।

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर
पूरा पता :

तारीख :
प्रेषिती :

रजिस्ट्रार,
रेल दावा अधिकरण
———————न्यायपीठ,
———————

अनुसूची 1

(नियम 3 देखिए)

क्रम सं.	रेल दावा अधिकरण के न्यायपीठ का मुख्यालय	न्यायपीठ की प्रादेशिक अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	अहमदाबाद	गुजरात, दीव, संघ राज्यक्षेत्र
2.	बंगलौर	कर्नाटक
3.	भोपाल	मध्यप्रदेश
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	मुम्बई	(i) महाराष्ट्र, राज्य के मुम्बई, थाणे, रायगढ़, पुणे, नासिक, अहमदनगर, सतारा, रत्नगिरि, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, शोलापुर, धुले, औरंगाबाद, बीड जिले। (ii) दादरा, दमण और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र । (iii) गोवा।
6.	नागपुर	उन जिलों को छोड़कर जो क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ (3) की मद (i) के अंतर्गत आते हैं, महाराष्ट्र राज्य के सभी जिले ।
7.	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र।
8.	कलकत्ता (2)	पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र ।
9.	गुवाहाटी	असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड।
10.	एर्नाकुलम	केरल, लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र।
11.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, राबर्टसगंज, जौनपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, नैनीताल, शाहजहांपुर, बदायूं और हरदोई जिले।
12.	लखनऊ	उन जिलों को छोड़कर जो क्रम सं. 11 के सामने स्तंभ (3) के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जिले ।
13.	जयपुर	राजस्थान
14.	नई दिल्ली (2)	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र

15. पटना	बिहार
16. मद्रास	तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र
17. सिकंदराबाद	आंध्रप्रदेश

अनुसूची

आवेदन फीस

(नियम 6 देखिए)

रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे आवेदन के फाइल किए जाने के संबंध में निम्नलिखित दर से फीस लगाई जाएगी :—

	संदेय आवेदन फीस
(i) जहां दावे का मूल्य 1 रुपए से अधिक है, किन्तु 100 रुपए से अधिक नहीं है	7.00 रुपए
(ii) जहां दावे का मूल्य 100 रुपए से अधिक है, किन्तु 5 00 रुपए से अधिक नहीं है	7.00 रु. धन 100 रु. से अधिक रकम पर 8 प्रतिशत
(iii) जहां दावे का मूल्य 500 रुपए से अधिक है किन्तु 1,000 रुपए से अधिक नहीं है	39 रुपए धन 500 रुपए से अधिक रकम पर 7 प्रतिशत
(iv) जहां दावे का मूल्य 1,000 रुपये से अधिक है किन्तु 5,000 रुपए से अधिक नहीं है	74 रुपए धन 1,000 रुपए से अधिक रकम पर 6 प्रतिशत
(v) जहां दावे का मूल्य 5,000 रुपए से अधिक है किन्तु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	314 रुपए धन 5,000 रुपए से अधिक रकम पर 5 प्रतिशत
(vi) जहां दावे का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक है किन्तु 30,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,064 रुपए धन 20,000 रुपए से अधिक रकम पर 4 प्रतिशत
(vii) जहां दावे का मूल्य 30,000 रुपये से अधिक है किन्तु 40,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,464 रुपये धन 30,000 रुपए से अधिक रकम पर 2 प्रतिशत
(viii) जहां दावे का मूल्य 40,000 रुपए से अधिक है किन्तु 50,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,664 रुपए धन 40,000 रुपए से अधिक रकम पर 1 प्रतिशत
(ix) जहां दावे का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है	1,764 रुपए धन 50,000 रुपए से अधिक रकम पर 1 प्रतिशत।

[सं. 89/टी.सी. (आर.सी.टी.)/1–5]

रंजीत माथुर, विशेष कार्य अधिकारी, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 1989

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the 'appointed day' within the meaning of Clause (b) of Section (2) of the Act.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987);

(b) "accident" means an accident of the nature desired in Section 82A of the Indian Railway Act, 1890, (9 of 1890);

(c) "applicant" means a person making an application to the Tribunal under section 16 of the Act;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "legal practitioner" shall have the meaning assigned to it under clause (i) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961).

(f) "legal representative" means a person who in law represents the estate of deceased;

(g) "Registrar" means the person who is for the time being discharging the functions of the Registrar of the Tribunal and includes an Additional and Assistant Registrar.

(h) "Registry" means the Registry of any Bench of the Tribunal;

(i) "Schedule" means a schedule to these rules;

(j) "Section" means a section of the Act;

(k) "Transferred application" means a suit, claim or other legal proceeding which has been transferred to the Tribunal under section 24 of the Act;

(l) "Tribunal" means the Railway Claims Tribunal established under section 3 of the Act;

(m) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Territorial jurisdiction of Benches.—The number of Benches, the Headquarters of each Bench and the territorial jurisdiction of every such bench shall be as specified in Schedule I.

(2) If an application is received by a Bench which does not have territorial jurisdiction to deal with the matter, the Registrar of tha Bench shall return the application to the applicant.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) the applicant may apply to the Chairman and the Chairman may thereupon for reasons recorded in writing direct a Bench other than the Bench before which an application has been filed to hear such application and issue such orders as may be necessary for the transfer of the application.

(4) Language of the Tribunal.—The language of the Tribunal shall be English :

Provided that the parties to a proceeding before the Tribunal may file documents drawn up in Hindi, if they so desire;

Provided further that :

(a) a Bench may, in its discretion, permit the use of Hindi in the proceedings, subject to the condition that the final order shall be in English ; and

(c) a Bench hearing a matter, may, in its discretion direct English translation of pleadings and documents to be filed.

5. Procedure for filing applications.—(1) An application to the Tribunal shall be presented in Form I or Form II or Form III as the case may be either by the applicant in person or by an agent or by his duly authorised legal practitioner to the Registrar.

(2) An application referred to in sub-rule (1) may also be sent by registered post to the Registrar of the Bench concerned.

(3) The application under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be presented in triplicate.

(4) Where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the application as there are respondents, together with unused file size envelopes, bearing the full address of such respondents, shall be furnished by the applicant.

(5) The applicant may attach to and present with his application a receipt slip in Form II which shall be signed by the Registrar of the officer receiving the application on behalf of the Registrar in acknowledgement.

(6) Every application including any miscellaneous application, shall be typed legibly in double space on one side on thick paper of good quality.

6. Application fees for cases other than compensation for death or injury to passengers.—(1) Every application made under sub-section (1) of section 16 for seeking relief in respect of matters, other than claim of compensation for death or injuries to passengers, shall be accompanied by a fee as specified in Schedule II.

(2) The amount of the fee as referred to in sub-rule (1) shall be payable by crossed demand draft on a nationalised bank drawn in favour of the Registrar of the concerned bench or remitted through a crossed Indian Postal Order and drawn in favour of the Registrar of the concerned bench.

7. Documents to accompany the application.—(1) Every application for compensation in respect of loss, destruction, damage, deterioration or non-delivery of animals or goods or in respect of refund of fare or freight shall be accompanied by the following documents, namely :—

(a) copy of the railway receipt/parcel way bill/luggage ticket;

(b) original sale invoice (Bijak), if any;

(c) copy of order or letter, if any, of the railway administration deciding the claim of the party;

(d) copy of the origanal certificate issued by the railway administration regarding loss, deterioration or damage to the goods, at the time of granting open delivery or assessment delivery;

(e) copy of the notice under Section 78 B of the Indian Railways Act, 1890.

(f) copies of any other relevant document in possession of the applicant.

8. Place of filing application for compensation in accident claims.—An application for compensation payable under section 82 A of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890) and referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Act may be filed before the Bench having territorial jurisdiction over the place where the accident occurred.

9. Place of filing application for compensation for loss, damage, destruction, deterioration of non-delivery of goods or animals

An application for compensation referred to in sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Act may be filed before the Bench having territorial jurisdiction over the place where—

(a) the goods or animals were delivered for carriage; or

(b) where the destination station lies; or

(c) the loss, destruction, damage or deterioration of goods or animals occurred.

10. Place of filing application for refund of fare and freight.

An application in respect of a claim for refund of fare or freight referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Act may be filed before the Bench having territorial jurisdiction over the place at which such fare or freight was paid to the place where the destination station lies.

11. Scrutiny of applications.—(1) The Registrar, or the officer authorised by him, shall endorse on every application, the date on which it is presented or received through post under rule 4, and sign the endorsement.

(2) If, on scrutiny, the application is found to be in order, it shall be registered and given a serial number.

(3) If the application, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the applicant to rectify the same in his presence, and if the defect is not formal in nature, the Registrar may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Registrar may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and inform the applicant accordingly.

(5) An appeal against the order passed under sub-rule (4) may be preferred by the person aggrieved within fifteen days from the date of such order to any Member and such appeal shall be dealt with and disposed of in Chamber by the Member whose decision thereon shall be final.

12. Notice to opposite party.—(1) The Tribunal shall issue notice to the respondent to show cause against the application on a date of hearing to be specified therein. Such notice shall be accompanied by a copy of the application.

(2) If the respondent does not appear on the date specified in the notice or appears and admits the claim, the Claims Tribunal shall forthwith proceed to dispose of the application.

(3) If the respondent contests the claim it may file a reply alongwith copies of such documents on which it relies on or before the date of hearing and such reply and copies of documents shall form part of the record.

13. Service of notices and processes issued by the Tribunal.—(1) Any notice or process to be issued by the Tribunal may be served in any one of the following modes as may be directed by the Bench.

(a) by hand delivery through a process server;

(b) by registered post with acknowledgement due;

(c) service by the party himself.

(2) Where a notice issued by the Tribunal is served by the party himself by 'hand delivery', he shall file with the Registry the acknowledgement, together with an affidavit of service.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Tribunal may, taking into account the number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that notice of the application shall be served upon the respondents in

any other manner, including any manner of substituted service, as it appears on the Tribunal just and convenient.

14. Filing of Affidavit

(1) The Tribunal may direct the parties to give evidence, if any, by affidavit.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the Tribunal considers it necessary for just decision of the case, it may order cross-examination of any deponent.

15. Filing of reply and other documents by the respondents.

(1) Each respondent may file his reply to the application and copies of the documents on or before the date of hearing.

(2) In reply filed under sub-rule (1), the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated by the applicant in his application and state such additional facts as may be found necessary in his reply alongwith affidavit.

16. Summary dismissal of application.

The Tribunal, may, after considering the application, summarily dismiss the application, if for reasons to be recorded, the Tribunal is of opinion that there are not sufficient ground for proceeding therewith.

17. Hearing of applications

The Tribunal shall notify to the parties the date and place of hearing of the application in such manner as the Chairman may, by general or special order, direct.

18. Action on application for applicant's default

(1) Where on the date fixed for hearing of the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant does not appear when the applicant is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion, either dismiss the application for default or hear and decide it on merit.

(2) Where an application has been dismissed for default and the applicant files an application within thirty days from the date of dismissal and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called for hearing, the Tribunal shall make an order setting aside the order dismissing the application and restore the same.

Provided, however, where the case was disposed of on merits the decision shall not be re-opened except by way of review.

19. Ex-parte hearing and disposal of applications.

(1) Where on the date fixed for hearing the application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the respondent does not appear when the application is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the application ex-parte.

(2) Where an application has been heard ex-parte against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served, or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the application was called for hearing Tribunal may make an order setting aside the ex-parte hearing as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the application :

Provided that where the ex-parte hearing of the applicaion is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also.

20. Procedure and powers of Tribunal.—The Tribunal shall have, for the purposes of discharging its functions under this Act, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(f) reviewing its decisions;

(g) dismissing an application for default or ex-parte;

(h) setting aside any order of dismissal of any application for default or any order passed by it ex-parte.

21. Framing and determination of issues.—(1) After considering the reply, the Tribunal shall ascertain upon what material propositions of fact or of law the parties are at variance and shall thereupon proceed to frame and record the issues upon which the right decision of the case appears to it to depend.

(2) In recording the issues, the Tribunal shall distinguish between those issues which in its opinion concern points of facts and those which concern points of law.

(3) After framing the issues, the Tribunal shall proceed to record evidence thereon which each party may desire to produce.

22. Summoning of witnesses and method of recording evidence.—(1) If an application is presented by any party to the proceedings for summoning of witnesses, the Tribunal shall issue summons for the appearance of such witnesses unless it considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.

(2) The Tribunal shall make a brief memorandum of the substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds and such memorandum shall form part of the record :

Provided that if the Tribunal is prevented from making such memorandum, it shall record the reasons of its inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing from its dictation and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record.

23. Power to issue commission.—Any Bench of the Tribunal may issue a commission for the examination on interrogatories or otherwise of any person who is resident within the territorial jurisdiction of such Bench of the Tribunal and who is unable to attend the Tribunal for any justifiable reason.

24. Procedure in connected cases.—(1) Where two or more applications pending before a Tribunal arise out of the same facts and any issue involved is common to two or more such applications, such applications may, so far as the evidence bearing on such issue is concerned, be heard simultaneously.

(2) Where action is taken under sub-rule (1), the evidence bearing on the common issue or issues shall be recorded on the record of one application the Tribunal shall certify under its hand on the records of any such other application, the extent to which evidence so recorded applies to such other case and the fact that the parties to such other case had the opportunity of being present, and, if they were present of cross-examining the witnesses.

25. Calendar of transferred cases.—Each Bench shall draw up a calendar for the hearing of transferred cases in such manner as the Chairman may, by general or special order direct and, hear and decide the cases according to the calendar.

26. Substitution of legal representatives.—(1) In the case of death of a party during the pendency of the proceedings before Tribunal, the legal representatives of the deceased party may apply within ninety days of the date of such death for being brought on record.

(2) Where no application is received from the legal representatives within the period specified in sub-rule (1), the proceedings shall abate :

Provided that for good and sufficient reasons shown, the Tribunal may allow substitution of the legal representatives of the deceased.

27. Assessors.—(1) In an enquiry into a claim, the Tribunal may call in the aid of assessors, not exceeding two in number, who possess any technical or special knowledge with respect to any matter before the Tribunal for the purpose of assisting the Tribunal.

(2) An assessor shall perform such functions as the Tribunal may direct.

(3) The remuneration, if any, to be paid to an assessor shall in every case be determined by the Tribunal and be paid by it.

28. Adjournment of hearing.—If the Tribunal finds that an application cannot be disposed of at one hearing it shall record the reasons which necessitate the adjournment and also inform the parties present of the date of adjourned hearing.

29. Costs.—The claims Tribunal may, in its discretion, pass such orders in respect of costs incidental to any proceedings before it, as it may deem fit.

30. Decision of the Tribunal.—The Tribunal shall decide every application as expeditiously as possible on perusal of documents, affidavits and other evidence, if any, and after hearing such oral arguments as may be advanced.

31. Order to be passed and signed.—(1) The Tribunal, after hearing the applicant and respondent, shall pass an order either at once or, as soon as there after as may be practicable.

(2) An order made by the Tribunal shall be executable by the Tribunal as a decree of civil court and the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, so far as may be, shall apply as they apply in respect of decree of a civil court.

(3) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed by the Member or Members constituting the Bench, which pronounced the order.

32. Review of decision.—(1) Any person considering himself aggrieved by any order of the Tribunal from which no appeal is allowed and who on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the Order made against him, may apply for review of a final order not being an interlocutery order, to the Tribunal.

(2) Where it appears to the Tribunal that there is not sufficient ground for a review, it shall reject the application.

(3) Where the Tribunal is of the opinion that the application for review should be granted, it shall grant the same :

Provided that no such application shall be granted without previous notice to the opposite party to enable him to appear and be heard in support of the order, a review of which is applied for.

33. Publication of orders

Any order of the Tribunal deemed by it to be fit for publication in any authoritative report or other media may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairman or Vice-Chairman or Member concerned may specify by general or special order.

34. Certified copy of the order and inspection of record.—(1) If the applicant or the respondent to any proceeding requires a copy of any order passed by the Tribunal, the same shall be supplied to him on payment of rupees ten per order.

(2) The parties to any case or their Counsel may be allowed to inspect the record of the case on making an application in writing to the Registrar and payment of rupees ten per inspection.

35. Orders or directions by the Tribunal.—The Tribunal may pass such orders or give such directions as may be necesary or expedient to give effect

o it orders|or to prevent abuse of its process or to ecure the end of justice.

36.Registration of Legal practitioner's clerks.—(1) No clerk employed by a legal practitioner shall act as such before the Tribunal or be permitted to have access to the records and obtain copies of the orders of a Bench of the Tribunal in which the legal practitioner ordinarily practises, unless his name is entered in the Register of Clerks maintained by the said Bench. Such clerk shall be known as a "Registered Clerk".

(2) A legal practitioner desirous of registering his clerk shall make an application to the Registrar in Form V. On such application being allowed by the Registrar, his name shall be entered in the Register of Clerks.

37. Powers, Functions and Duties of the Registrar.—(1) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise such other functions as are assigned to him under these rules or from time to time by the Chairman or the Vice-Chairman or the Member.

(2) Without prejudice to the foregoing sub-rule (1), the Registrar shall have the following powers and duties, subject to the general or special order of the Chairman, Vice-Chairman or Member, namely :—

(i) to receive all applications and other documents including transferred applications under sub-rule (3) of rule 3;

(ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the applications before they are registered in accordance with rule 11;

(iii) to require any application presented to the Tribunal to be amended for compliance with any provision of the Act or the rules;

(iv) subject to the direction of the respective Benches, to fix the date of hearings and to issue notices therefor;

(v) to direct any formal amendment of records;

(vi) to order grant of copies of documents to parties to the proceedings;

(vii) to grant leave to inspect the records of the Tribunal;

(viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes, applications for the issue of fresh notices and for extending the time for filing such applications and to grant time not exceeding 15 days for filing a reply or rejoinder if any, and to place the matter before the Bench for appropriate orders after the expiry of the aforesaid period ;

(ix) to requisition or transfer of any records of such suit, claim or other legal proceeding as are transferred to the claims Tribunal from any Court, Claims-Commissioner or other authority under clause (a) of sub-section (2) of section 24 of the Act.

(x) to receive and dispose of applications for substitution, except where the substituion would involve setting aside an order of abatement;

(xi) to receive and dispose of applications by parties for return of documents.

(3) The official shall be kept in the custody of the Registrar.

(4) Subject to any general or special direction by the Chairman, the seal of the Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the Registrar.

(5) The seal of the Tribunal shall not be affixed to any certified copy issued by the Tribunal save under the authority in writing of the Registrar.

(6) The Registrar of each Bench shall make out, every month a brief summary of the important decisions given by that Bench during the previous month and send it to the Registrar of the Principal Bench who shall after suitable editing, circulate it to all the Benches of the Tribunal in the country and to all Chief Claims Officers of Zonal Railways for their information.

38. Working hours of the Tribunal.—Except on Saturdays, Sundays and other public holidays, the office of the Tribunal shall, subject to any order made by the Chairman, remain open from 9-30 A.M. to 6-00 P.M.

39. Sitting hours of the Tribunal

The sitting hours of the Tribunal shall ordinarily be from 10-30 AM to 1-30 PM and 2-30 PM to 4-30 PM subject to any general or special order made by the Chairman or by Vice-Chairman or Member concerned with the prior approval of the Chairman.

40. Seal and emblem

The official seal and the emblem of the Tribunal shall be such as the Central Government specify.

41. Sittings of the Tribunal outside the Headquarters.

The Tribunal and any of the Benches may hold its sittings at its Headquarters or at any other place as it may find convenient for the better transaction of business.

42. Headquarters of the Tribunal

The Tribunal shall have its Headquarters at New Delhi.

43. Preservation of record

All necessary documents and records relating to applications dealt with by the Tribunal shall be

kept in a record room and shall be preserved for a period of three years after the passing of the final order.

44. Inherent powers of the Tribunal

Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Tribunal to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Tribunal.

FORM I

[See rule 5 of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989].

Application under section 16 of the Act in respect of claims for compensation for loss; destruction, damage, deterioration or non-delivery of animals or goods.

PART I

Title of the case :

PART II

S. No.	Description of documents attached	Page No.
1.	Application	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature of the Applicant

For use in Tribunal's Office.

Date of filing
or
Date of Receipt by post
Registration No.

Signature for
Registrar

PART III

IN THE RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

—— ———— BENCH

BETWEEN

A.B. APPLICANT

AND

C.D. RESPONDENT

1. Particulars of the applicant :
   Name and address :
2. Particulars of the respondent/respondents;
3. Value of Claim and details of application fee—
   (1) Value of claims
   (2) Details of application fee;
4. (i) Name and address of the Bank on which the draft is drawn;
   (ii) Demand Draft No. and the Branch at which payable.

   or

   (i) Number of Indian Postal Order(s)
   (ii) Name of issuing Post Office
   (iii) Date of issue of Postal Order(s)
   (iv) Post Office at which payable.
5. Full Booking particulars of the consignment—

Date of Booking	Railway Receipt of Parcel Way Bill	Station		Description of consignment
		From	To	
(1)	(2)	(3)		(4)

Value of Consignment	Any other particulars
(5)	(6)

6. Date on which notice served on the Railway Administration under section 78B of Indian Railways Act, 1890

(Attach proof)

7. (i) Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible, a separate issue, fact or otherwise)

(ii) (a) Nature of relief sought; and

(b) Grounds of relief.

8. Matters not previously filed or pending with any other Court.

(State whether the applicant had previously filed any claim, writ petition or suit regarding the matter in respect of which the present application has been made).

In case the applicants had previously filed any claims, application, writ petition or suit, indicate the stage at which it is pending, and if decided, attach a certified copy of the order.

9. Jurisdiction of the Bench (indicate the facts on the basis of which the Bench to which application is made, has the jurisdiction).

10. List of enclosures:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VERIFICATION

I,————————————————(Name of the applicant) S/o, D/o, W/o, ———————————————— Age————————

resident of————————————————

do hereby verify that the contents of paragraphs to

are true to my personal knowledge, and paragraphs to

are believed to be true to the best of my knowledge or the legal advice given to me, and that I have not suppressed any material fact.

Date :

Place :

Signature of the applicant

Full address :

To

The Registrar,
Railway Claims Tribunal,
————————
————————

FORM II

[See Rule 5 of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules 1989]

Application under Section 16 of the Act in respect of claims for compensation arising out of accident to a train

PART I

Title of the case

PART II

INDEX

S. No.	Description of documents attached	Page No.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature of the Applicant

For use in Tribunal's Office

: Date of filing
or
Date of Receipt by post
Registration No.

Signature for
Registrar

PART III

To

The Railway Claims Tribunal,

_____

_____

I,_____, son/daughter/wife/widow of_____ residing of_____ having been injured in railway accident hereby apply for the grant of compensation for the injury sustained.

I,_____, son/daughter/wife/widow of_____ residing at_____ hereby apply as dependent for the grant of compensation of account of the death/injury sustained by Shri/Kumari/Shrimati _____ _____son/daughter/wife/widow of Shri/Shrimati_____ _____who died/was injured in the railway accident referred to hereunder.

Necessary particulars in respect of the deceased/injured in the accident are given below :

1. Name and father's name of the person injured/dead (husband's name in the case of married woman or widow)
2. Full address of the person injured/dead.
3. Age of the person injured/dead.
4. Occupation of the person injured/dead.

5. Name and address of the employer of the deceased, if any—

6. Brief particulars of the accident indicating the date and place of accident and the name of the train involved—

7. Class of travel, and ticket/pass number, to the extent known——————

8. Nature of injuries sustained alongwith medical certificate.

9. Name and address of the Medical Officer/Practitioner, if any, who attended on the injured/dead and period of treatment— ——————

10. Disability for work, if any, caused.

11. Details of the loss of any luggage on account of the accident——————

12. Has any claim been lodged with any other authority? If so, particulars thereof——————

13. Name and permanent address of the applicant——————

14. Local address of the applicant, if any——————

15. Relationship with the deceased/injured—— ——————

16. Amount of compensation claimed——————

17. Where the application is not made within one year of the occurrence o the accident, the grounds thereof——————

18. Any other information or documentary evidence that may be necessary or helpful in the disposal of the claim——————

19. Mention the documents, if any, filed alongwith application.

I,——————solemnly declare that——————

(a) the particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and

(b) I have not claimed or obtained any compensation in relation to the injury/death which is the subject matter of this application.

Signature or left thumb-impression of the applicant

Date——————

Place——————

Name of witness and his address in case Left Thumb Impression is put by applicant.

VERIFICATION

I,——————(Name of the applicant) S/o, D/o, W/o.——————Age——————
resident of ——————
do hereby verify that the contents of paragraphs to are true to my personal knowledge, and paragraph to are believed to be true to the best of my knowledge or the legal advice given to me, and that I have not suppressed any material fact.

Date :

Place :

Signature of the applicant.

Full address

To

The Registrar,
Railway Claims Tribunal,
——————

FORM III

[See rule 5 of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989]

Application under section 16 of the Act in respect of claims for refund of fares or part thereof or for refund of any freight paid in respect of animals or goods entrusted to a railway administration to be carried by railway.

PART I

Title of the case

PART II

INDEX

S. No.	Description of documents attached	Page No.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature of the applicant.

For use in Tribunal's Office.

Date of filing
or
Date of Receipt by post
Registration No.

Signature for Registrar.

PART III

IN THE RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

————————BENCH

BETWEEN

AB APPLICANT

AND

CD RESPONDENT

1. Particulars of the applicant
Name and Address.
2. Particulars of the respondent/respondents
3. Value of claim and details of application fee—
   (1) Value of claims
   (2) Details of Application Fee
4. Particulars of Bank Draft/Postal Order in respect of Application Fee :
   (i) Name and address of the Bank on which the Draft is drawn;
   (ii) Demand Draft No. and the Branch at which payable

or

   (i) Number of Indian Postal Order(s)
   (ii) Name of issuing Post Office
   (iii) Date of issue of Postal Order(s)
   (iv) Post Office at which payable.

5. Full particulars of payment of fare/freight.

(1) Claim for refund of freight.

Date of Booking	Railway Receipt or Parcel Way Bill	Station		Description of consignment
		From	To	
1	2	3		4

Freight paid	Amount Refund of claims	Money Receipt/Credit Note or other payment particulars
5	6	7

(2) Claim for refund of fare

Date of journey	Train No.	Class of Travel	Class actually travelled
1	2	3	4

Ticket or Ticket Deposit Receipt/ Excess Fare Ticket etc. Guards or Conductors' Certificate	Fair paid Rs.	Refund Claimed Rs.
5	6	7

6. Date on which notice served in Railway Administration under Section 78B of Indian Railways Act, 1890 (in respect of claims for refund of freight)—attach proof.

7. (i) Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible, a separate issue, fact or otherwise).

(ii) (a) Nature of relief sought; and

(b) Grounds of relief.

8. Matters not previously filed or pending with any other Court.

(State whether the applicant had previously filed any claim, writ petition or suit regarding the matter in respect of which the present application has been made).

In case the applicants had previously filed any claims, application, writ petition or suit, indicate the stage at which it is pending, and if decided, attach a certified copy of the Order.

9. Jurisdiction of the Bench (indicate the facts on the basis of which the Bench to which application is made, has the jurisdiction).

10. List of enclosures :

1.
2.
3.
4.
5.

VERIFICATION

I,————————————————————(Name of the applicant) S/o, D/o, W/o————————————————————Age ————————————————resident of———————— ————————————————do hereby verify that the contents of paragraphs to are true to my personal knowledge, and paragraphs to are believed to be true to the best of my knowledge or the legal advice given to me, and that I have not suppressed any material fact.

Date :
Place :

Signature of the applicant
Full Address :

To

The Registrar,
Railway Claims Tribunal
————————————Bench
————————————

FORM IV

[See sub-rule (5) of Rule5 of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989].

RECEIPT SLIP NO..........................

Received an application filed before the.. Bench of the Railway Claims Tribunal on................................by Shri/Kumari/Smt.. ....

For the Registrar of the
.... Bench of the
Railway Claims Tribunal

Date——————————
Seal——————————

FORM V

(See Rule 36)

APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A CLERK

1. Name of legal practitioner on whose behalf the clerk is to be registered.
2. Particulars of the Clerk to be registered :
   (i) Full Name
   (in capital)
   (ii) Father's Name :
   (iii) Age and Date of Birth :
   (iv) Place of Birth :
   (v) Nationality :
   (vi) Educational qualifications :
   (vii) Particulars of previous employment, if any :

Attested passport size photograph to be pasted.

I, _____(Clerk above named) do hereby affirm that the particulars relating to me given above are true.

Signature of Clerk

3. Whether the legal practitioner has a Clerk already registered in his employment and whether the Clerk sought to be registered is in lieu of or in addition to the Clerk already registered.
4. Whether the Clerk sought to be registered or is already registered as a Clerk of any other legal practitioner and if so, the name of such practitioner.

I,_____(legal practitioner) certify that the particulars given above are true to the best of my information and belief and that I am not aware of any fact which would render unsuitable the registration of the said_____(name) as a Clerk. Further, I enclose Postal Order for Rs. 5.00 being the cost of Identity Card alongwith 2 passport size photographs of the applicant duly attested by me.

Signature of the Legal Practitioner

Full Address :

Date :

To

The Registrar
Railway Claims Tribunal,
_____Bench,
_____.

SCHEDULE I

(See Rule 3)

S. No.	Headquarters of the Bench of the Railway Claims Tribunal	Territorial jurisdiction of the Bench
(1)	(2)	(3)
1.	Ahmedabad	Gujarat, Union Territory of Diu.
2.	Bangalore	Karnataka
3.	Bhopal	Madhya Pradesh
4.	Bhubaneswar	Orissa
5.	Bombay	(i) Districts of Bombay, Thane, Raigad, Pune, Nasik, Ahmednagar, Satara, Ratnagiri, Sindhudurg, Kollahpur, Sangli, Solapur, Dhule, Aurangabad, Beed of Maharashtra. (ii) Union Territories of Dadra, Daman and Nagar Haveli. (iii) Goa.
6.	Nagpur	All Districts of Maharashtra except those included in item (i) of column (3) against serial number 5.
7.	Chandigarh	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Union Territory of Chandigarh.
8.	Calcutta (2)	West Bengal, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
9.	Guwahati	Assam, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, Meghalaya, Nagaland.
10.	Ernakulam	Kerala, Union Territory of Lakshadweep.
11.	Gorakhpur	Districts of Gorakhpur, Deoria, Ballia, Gazipur, Azamgarh, Nau, Basti, Siddharthanagar, Mirzapur, Robertsgang, Jaunpur, Faizabad, Gonda, Bahraich, Sultanpur, Pratapgarh, Lakhimpur, Allahabad, Varanasi, Bareilly, Sitapur, Pilibhit, Nanital, Shahjahanpur, Badaun and Hardoi of Uttar Pradesh.
12.	Lucknow	All Districts of Uttar Pradesh except those included in column (3) against serial number 11.
13.	Jaipur	Rajasthan
14.	New Delhi (2)	Union Territory of Delhi.
15.	Patna	Bihar
16.	Madras	Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry
17.	Secunderabad	Andhra Pradesh

SCHEDULE II

APPLICATION FEE

(See Rule 6)

Every application under sub-section (1) of Section 14 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 shall be accompained by fee in respect of filing of such application at the following rates :—

	Application fee payable
(i) Where the value of claim exceeds rupee 1 but does not exceed rupees 100.	Rupees 7.00
(ii) Where the value of the claim exceeds rupees 100 but does not exceed rupees 500.	Rupees 7.00 plus 8 per cent on the amount exceeding rupees 100.
(iii) Where the value of the claim exceeds rupees 500 but does not exceed rupees 1,000.	Rupees 39 plus 7 per cent on the amount exceeding rupees 500.
(iv) Where the value of the claim exceeds rupees 1,000 but does not exceed rupees 5,000.	Rupees 74 plus 6 per cent on the amount exceeding rupees 1,000.
(v) Where the value of claim exceeds rupees 5,000 but does not exceed rupees 20,000.	Rupees 314 plus 5 per cent on the amount exceeding rupees 5,000.
(vi) Where the value of claim exceeds rupees 20,000 but does not exceed rupees 30,000.	Rupees 1,064—plus 4 per cent on the amount exceeding rupees 20,000.
(vii) Where the value of claim exceeds rupees 30,000 but does not exceed rupees 40,000.	Rupees 1,464—plus 2 per cent on the amount exceeding rupees 20,000.
(viii) Where the value of claim exceeds rupees 40,000 but does not exceed rupees 50,000.	Rupees 1664 plus 1 per cent on the amount exceeding rupees 40,000
(ix) Where the value of claim exceeds rupees 50,000	Rupees 1,764 plus 1/2 per cent on the amount exceeding rupees 50,000

[No. 69/TC(RCT)/1—5]

RANJIT MATHUR, Officer on Special Duty, Railway Board,

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989